ब अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा

PA Case No- 43/2013-14

अनिल सोरेन वगै0

बनाम

रैयान मौजा-रमला संथाली

-: आदेश :-

18/12/2020 आवेदक अनिल सोरेन, पे0- प्रधान सोरेन, साकिन- रमला संथाली, अंचल-गोड्डा, द्वारा मौजा-रमला संथाली, थाना नं0-315 के पूर्व प्रधान-टिकला सोरेन के मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन दिया है। तत्पश्चात् वाद अभिलेख की कार्रवाई के दौरान मौजा के सोलह आना रैयत को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया। फलस्वरूप जीतन सोरेन, पे0-सोमाय सोरेन एवं रीतलाल सोरेन, पिता-गुडा सोरेन, सभी साकिन-रमला संथाली द्वारा भी धारा-06 के तहत् आवेदन समर्पित किया है।

आवेदन की प्रति अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजकर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक-2049/रा0 दिनांक-19.12.2017, पत्रांक-1319/रा0 दिनांक-21.08.2017 एवं पत्रांक-1493/रा0 दिनांक-04.09.2019 से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत वंशावली में भिन्नता के कारण पुनः डी0वी0नं0-22/रा0मु0 दिनांक-17.02.2020 द्वारा वंशावली में विभिन्नता को स्पष्ट करते हुए पूर्ण सत्यापन के साथ सुस्पष्ट वंशावली की मांग की गयी।

अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्रांक-274/रा0 दिनांक-06.03.2020 द्वारा मौजा-रमला संथाली, मौजा नं0-315 के पूर्व प्रधान टिकला सोरेन के वंशजों का सत्यापित वंशावली आम सभा के माध्यम से तैयार कर निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया है-

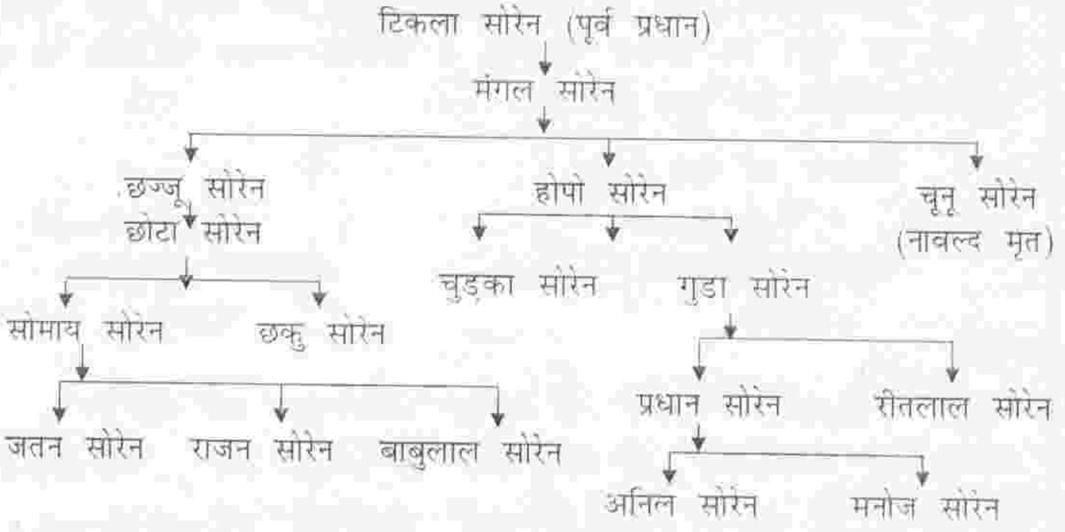

पूर्व प्रधान के वंशजों के उपर्युक्त वंशावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वंशानुक्रम में प्रथम स्तर पर- मंगल सोरेन एक मात्र ज्येष्ट पुत्र है।

- द्वितीय स्तर पर- क्रमशः छज्जू सोरेन, होपो सोरेन एवं चूनू सोरेन (मृत) है।
- इसी प्रकार वंशानुक्रम के तृतीय स्तर पर- छोटा सोरेन, चुड़का सोरेन एवं गुडा सोरेन आते है।
- चतुर्थ स्तर के वंशानुक्रम में- सोमाय सोरेन, छकु सोरेन, प्रधान सोरेन एवं रीतलाल सोरेन आते है।
- पाँचवे एवं अंतिम स्तर पर- जतन सोरेन, राजन सोरेन, बाबुलाल सोरेन, अनिल सोरेन एवं मनोज सोरेन आते है।

इस संदर्भ में उल्लेख करना है कि पूर्व प्रधान की मृत्यु के पश्चात् प्रधानी पद पर नियुक्ति विचरण की कार्रवाई के दौरान आपत्ति नोटिश के पश्चात् मात्र जतन सोरेन, पे0-सोमाय सोरेन एवं रीतलाल सोरेन, पे0-गुडा सोरेन साकिन-रमला संथाली, मौजा नं0-315 की ओर से ही नियुक्ति के लिए आवेदन दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन में प्रदर्शित वंशवृक्ष के अनुसार रीतलाल सोरेन, पर्व प्रधान के परपोता है। निष्कर्षतः अनुवांशिक वंशानुक्रम के आधार पर Next Fitted Heirs के अनुसार रीतलाल सोरेन, पे0-गुडा सोरेन ही सर्वप्रथम प्रधान नियुक्ति की अर्हता रखते है अन्य आवेदक Next Generation में आते है।

अतः अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-06 के तहत् उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदक रीतलाल सोरेन, पे0-गुडा सोरेन, साकिन- रमला संथाली, अंचल-गोड्डा, जिला-गोड्डा को मौजा-रमला संथाली, नं0-315 का प्रधान नियुक्ति किया जाता है। अनिल सोरेन, पे0- प्रधान सोरेन एवं जतन सोरेन, पे0-सोमाय सोरेन साकिन-रमला संथाली, थाना-गोड्डा की ओर से दाखिल आवेदन खारिज किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक साल का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

18/12/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

18/12/2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

18/01/2021 नव नियुक्त प्रधान के द्वारा जमानत की राशि कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर, चालान की प्रति के साथ कबुलियत दाखिल किया गया। पट्टा हस्ताक्षरार्थ निर्गत करें।

18/01/2021
अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा